झारखंड सरकार
<u>नगर विकास एवं आवास विभाग</u>

(

**अधिसूचना**

का०आ०सं०–**RSCCL/LAR/51/2017**......5869......  राँची, दिनांक–....11/09/17

केन्द्र प्रायोजित स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के द्वारा राँची को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु चयनित किया गया है।

राज्य सरकार के द्वारा इस मिशन के अन्तर्गत देश की प्रथम ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी को स्थापित करने हेतु सर्वश्री एच. ई. सी. लिमिटेड के पास उपलब्ध 656 एकड़ भूमि को इस प्रयोजन हेतु स्थपित राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राँची स्मार्ट सिटी मिशन के परियोजना प्रबंधन परामर्शी (PMC) के द्वारा तैयार किए गए Draft Land and Other Fixed Assets (Utilisation, Allotment and Disposal) Regulation, 2017 का अध्ययन कर प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निम्न वर्णित समिति का गठन किया जाता है :

| | | |
|---|---|---|
| 1 | निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, झारखंड | अध्यक्ष |
| 2 | निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप–सह–भू–अर्जन, राजस्व, निबंधन एव भूमि सुधार विभाग | सदस्य |
| 3 | विधि परामर्शदाता, जुडको लि0 | सदस्य |
| 4 | संयुक्त सचिव,नगर विकास एवं आवास विभाग | सदस्य |
| 5 | श्री गजानन्द राम, नगर निवेशक | सदस्य |
| 6 | मुख्य वित्त पदाधिकारी, राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड | सदस्य |
| 7 | मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लि0 | सदस्य सचिव |

2. उपर्युक्त समिति दिनांक 15.09.2017 तक तैयार किए गए दस्तावेज का अध्ययन कर उसमें आवश्यतानुसार संशोधन कर अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ नगर विकास एवं आवास विभाग में प्रतिवेदन समर्पित करेगी ताकि विभागीय स्तर से आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

3. प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त हैं।

7.9.17

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– **RSCCL/LAR/51/2017**......5869 राँची, दिनांक–....11/09/17

प्रतिलिपिः–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/सभी संबंधित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7.9.17

सरकार के प्रधान सचिव